



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर)

:- विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश :-

1. विवाह पंजीयन की अनिवार्यता :- इन दिशा निर्देशों के जारी होने के तत्काल बाद से संपन्न होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु पूर्व में संपन्न विवाहों का भी पंजीयन किया जा सकेगा।
2. विवाह पंजीयन अधिकारी :- समस्त जोन के आयुक्तों को विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले समस्त विवाहों का पंजीयन करना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी :- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जिले में संपन्न होने वाले सभी विवाहों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण हो इस बाबत पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं समीक्षा के साथ-साथ इन दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवायी जायेंगी।
4. महापंजीयक विवाह :- अनिवार्य विवाह पंजीयन की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक महापंजीयक विवाह पंजीयन होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ है।
5. विवाह पंजीयन की प्रक्रिया :-
 - 5.1 इन दिशा निर्देशों के जारी होने के बाद संपन्न होने वाले विवाहों के पंजीयन हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी :-
 - I. विवाह पंजीयन कहाँ होगा :- जहाँ विवाह संपन्न होता है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन किया जायेगा।
 - II. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :- विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन पत्र दिया जावेगा। आवेदन पत्र वर या वधु या उनके संरक्षकों द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र विवाह संपादित होने के 30 दिन की अवधि में 10/- रु. फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिए 100/- रु. की फीस जमा करानी होगी।
 - III. पंजीयन आवेदन पत्र सही एवं सुस्पष्ट भरा गया है एवं उसके साथ निर्दिष्ट संलग्नक लगे हुए हैं यह सुनिश्चित कर पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवाह पंजीकरण रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा एवं आवेदन पत्र को संरक्षित पत्रावली में संधारित किया जावेगा। तदनुसार परिशिष्ट 3 पर संलग्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 - IV. विवादित मामलों में संदर्भिकरण :- सामान्यतया विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्यवाही की जावेगी। परन्तु ऐसे प्रकरणों में, जिन में विवाह की वैधता को चुनौती देने बाबत अभ्यावेदन विवाह पंजीयन के पूर्व प्राप्त हो जाता है, विवाह पंजीयन अधिकारी आवेदन को लम्बित रखते हुए जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी को संदर्भित करेगा एवं जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने पर ही पंजीयन करेगा।
 - V. विवाद निर्धारण :- जिला विवाह पंजीयन अधिकारी संदर्भित प्रकरण में आवश्यक छानबीन कर पंजीयन की पात्रता निर्धारित करेगा। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा सिविल या आपराधिक न्यायालय के समक्ष विवाह संपन्न होने संबंधी विवाद लम्बित नहीं होने की दशा में विवाह पंजीकरण हेतु विवाह पंजीयन अधिकारी को निर्देशित किया जा सकेगा परन्तु न्यायालय में विवादित प्रकरण में पंजीकरण बाबत निर्देश जारी नहीं किया जा सकेगा।
 - VI. आवेदन लम्बित रखना :- ऐसे पंजीकरण जिनमें विवाह की वैधानिकता को चुनौती देने का वाद किसी न्यायालय में लम्बित है एवं इस प्रकार के तथ्य विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों को लम्बित रखा जा कर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.2 इन दिशा निर्देशों के जारी होने के पूर्व में संपन्न विवाहों को भी नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जा सकेगा :-

I. विवाह पंजीयन कहा होगा :- (1) जहाँ विवाह संपन्न हुआ है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(2) इसके अलावा शासन उपसचिव गृह (ग्रुप 13) विभाग के पत्र क्रमांक प 6 (19) गृह-13/2006 जयपुर दिनांक 28/01/2008 के अनुसार यदि आवेदक विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आवेदन के समय निवास कर रहा है एवं विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विवाह 22/05/2006 से पूर्व विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर संपन्न हो चुका था एवं वर्तमान में भी वे वैवाहिक दम्पति के रूप में रह रहे हैं ऐसे विवाहों का पंजीयन दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर किया जावे। जहाँ विवाह संपन्न हो उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन किया जायेगा।

II. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :- विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 4 में आवेदन पत्र दिया जावेगा। ऐसा आवेदन पत्र पति एवं पत्नी के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जायेगा एवं इसके साथ 20/- रु. की फीस जमा करानी होगी।

III. ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में निर्धारित पूर्तियों को युक्ति संगत एवं सुस्पष्ट ढंग से भरा गया है इसकी अन्वीक्षा कर विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 के अनुसार निर्धारित रजिस्टर में इन्द्राज किया जा कर प्रपत्र 3 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। आवेदन पत्र को संरक्षित पंजिका में सुरक्षित ढंग से संभारित किया जावेगा।

6. विवाह पंजीयन की विशेष व्यवस्था :- विवाह पंजीयन बाबत आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने से पूर्व प्राप्त होने पर एवं आवेदक द्वारा विवाह स्थल पर आकर विवाह पंजीयन किये जाने का आवेदन किये जाने पर विवाह पंजीयन अधिकारी सुविधा होने पर विवाह स्थल पर जाकर भी विवाह पंजीयन कर सकेगा। इसके लिए आवेदक को विवाह पंजीयन अधिकारी के यात्रा आदि व्यय हेतु 50/रु.फीस के रूप में अतिरिक्त जमा करवाने होंगे।

7. विवाह पंजीयन अधिकारी को मानदेय :- विवाह पंजीयन अधिकारी को विवाह के सामान्य पंजीयन कार्य हेतु प्रति पंजीयन 5 रु. का मानदेय दिया जायेगा, एवं ऐसे प्रकरणों में जिनमें विवाह पंजीयन अधिकारी विवाह स्थल पर जाकर पंजीयन करता है उनमें अतिरिक्त फीस के रूप में प्राप्त 50/-रु. मानदेय के रूप में यात्रा व्यय आदि के बतौर देय होंगे।

8. विवाह पंजीयन की प्रगति :- दिसम्बर 2006 में 8 जून 2006 से दिसम्बर 2006 तक 1802 एवं वर्ष 2007 में जनवरी से दिसम्बर तक 3386 विवाह पंजीयन किये जा चुके हैं वर्ष 2008 में जनवरी से जूलाई तक 5678 विवाह पंजीयन किये जा चुके हैं। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2008 से कम्प्यूटराईज्ड रंगीन विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं।

9. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यों है :-

- राशन कार्ड बनवाने या नया नाम जोड़ने हेतु।
- बिजली के नये कनेक्शन के लिए।
- विद्युत कनेक्शन पति से पत्नी या पत्नी से पति के नाम ट्रांसफर करने हेतु।
- पानी कनेक्शन के लिए।
- आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड या कृषि योग्य भूमि के आवंटन के लिए।
- राजकीय सेवा में आवेदन हेतु।
- विजा बनवाने हेतु।
- पासपोर्ट बनवाने हेतु।

10 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के लाभ :-

- a. बाल विवाह पर नियंत्रण
- b. बहु विवाह पर नियंत्रण।
- c. विवाह के पंजीयन से उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य से महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त होने में सुविधा मिलेगी।
- d. विवाह के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम।
- e. शादी होने एवं शादी की तिथि पर विवाद नहीं रहेगा।
- f. इससे तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने या विधवाओं को पति की सम्पत्ति हासिल करने के लिए।
- g. विदेश भेजने वालों दलालों को कमीशन नहीं देना पड़ेगा।